"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305] रायपुर, रविवार, दिनांक 3 नवम्बर 2002—कार्तिक 12, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2002

क्रमांक 7017/21-अ/प्रारूपण/2002.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 3-11-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 31 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के 53वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम (क्र. 31 सन् 2002) है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 (1) (य-1) में अन्तःस्थापन.

2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है की धारा-2 की उपधारा (1) के खण्ड (य-1) में प्रविष्टि (सात) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(आठ)	एडाइना कॉर्डिफोलिया	(हल्दू)
(नौ)	मित्रागाइना पारविफ्लोरा	(मुण्डी)
(दस)	टर्मिनेलिया अर्जुना	(अर्जुन)
(ग्यारह)	डायोस्पाइरस मेलनोक्जाइलान	(तेन्दू)
(बारह)	मेलाइना आरबोरिया	(खम्हार) "

धारा 239 में संशोधन.

3. (एक) मूल अधिनियम की धारा 239 के पार्श्व शीर्षक "दखल रहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षों पर अधिकार" के स्थान पर नया पार्श्व शीर्षक "दखल रहित भूमि भाठा भूमि तथा बड़े झाड़/छोटे झाड़ के जंगल में रोपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षों पर अधिकार" स्थापित किया जाय.

(दो) धारा 239 की उपधारा (1) और (2) में दखल रहित भूमि के पश्चात् "भाठा भूमि तथा बड़े झाड़/छोटे झाड़ का जंगल" जोड़ा जाए.

धारा 239 की उपधारा (5) के पश्चात् अन्तःस्थापन.

4. मूल अधिनियम की धारा 239 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

5. क उस भाठा भूमि पर, जिस पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (1980 का संख्यांक 69) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, वृक्षारोपण के लिए स्थाई पट्टा मंजूर किया जा सकेगा.

5. ख बड़े झाड़/छोटे झाड़ के जंगल पर वृक्षारोपण हेतु करार निष्पादित किया जा सकेगा. करार धारक या उसके उत्तराधिकारियों को बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल की भूमि पर तथा उक्त भूमि पर रोपित वृक्षों पर कोई भूमिस्वामी अधिकार उद्भूत नहीं होगा. करार धारक या उसके उत्तराधिकारी वृक्षों के भोगाधिकार के हकदारी होंगे.

5. (1) मूल अधिनियम की धारा 241 की उपधारा (4) में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर "पांच हजार रुपये" स्थापित किए जाएं. **धारा 241 में संशोधन.**

(2) मूल अधिनियम की धारा 241 की उपधारा (5) के अंत में निम्नलिखित शब्द अन्त: स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"तथापि ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी की वह सक्षम अधिकारी द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराए और ऐसे वृक्षों को काटकर गिराए जाने या हटाए जाने के कम से कम दस दिन पूर्व क्षेत्राधिकारिता रखने वाले राजस्व अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी को लिखित सूचना दें."

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2002

क्रमांक 7017/21-अ/प्रारूपण/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्रमांक 31 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 31 of 2002)

CHHATTISGARH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ADHINIYAM, 2002

An Act to amend the Chhattisgarh and Revenue Code, 1959 (No. 2o of 1959).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the 53rd Year of the republic of India as follows :—

1. (1) This Adhiniyam may be called the Chhattisgarh Land Revenue code (Amendment) Adhiniyam, 2002. **Short title and Commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

2. After entry (vii) of clause (Z-1) of Sub-section (1) of Section 2 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), (Here in after referred as the Principal Act) the following entries shall be inserted, namely :— **Insertion in section 2 (1) (Z-1).**

(viii)	Adina cardifolia	(Haldoo)
(ix)	Mitragyna parviflora	(Mundi)
(x)	Terminalia arjuna	(Arjun)
(xi)	Diospyros melanoxylon	(Tendu)
(xii)	Gmelina arborea	Khamhar)

3. (1) In Section 239 of the Principal Act, for the previous marginal heading "rights in fruit bearing trees planted in unoccupied land" the marginal heading "rights in fruit bearing trees and other trees planted in unoccupied land and Bhata Land and Bade Jhad/Chhote Jhad Ka Jungle" shall be substituted. **Amendment in Section 239.**

(2). In Sub-section (1) and (2) of Section 239 after the words "unoccupied Land" wherever it occurs the words "and Bhata Land and Bade Jhad/Chhote Jhad Ka Jungle" shall be added.

Insertion after Sub-section (5) in Section 239.

4. After Sub-section (5) of Section 239 of the Principal Act, the following Sub-section shall be inserted, namely :—

"(5. A) Permanent lease for such Bhata Land, on which the provisions of the Forest, Conservation Act, 1980 (No. 69 of 1980) shall not apply may be granted.

(5. B) An agreement can be executed for plantation on Bade Jhad/Chhote Jhad Ka Jungle. No bhumiswami right shall accrue to the agreement holder or of his/her heir of the Land of Bade Jhad/Chhote Jhad Ka Jungle and on the trees planted on the above land. The agreement holder or his/her heir shall be entitled to only usufruct of the trees"

Amendment in Section 241.

5. (1) In the Sub-section (4) of Section 241 of the Principal Act for the words "One thousand rupees" the words "Five thousand rupees" shall be substituted.

(2) At the end of Sub-section (5) of Section 241, of the Principal Act, the following words shall be added, namely :—

"However such person shall be required to get his land demarcated by the competent authority and to inform in writing the Revenue Officer and Range Forest Officer having Jurisdiction atleast 10 days before felling of removal of such trees"

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.